



आवंटन/नीलामी तिथि

28.12.2021

समय

10:00 बजे

उ०प्र० आवास एवं
विकास परिषद की

वाराणसी जोन
के अन्तर्गत

प्रयागराज
की अनावासीय सम्पत्तियों की
नीलामी



स्थल

कार्यालय, उ०प्र० आवास आयुक्त, वाराणसी जोन
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कम शॉपिंग,
काम्पलेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी



नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियां

चन्द्रशेखर आजाद नगर (मेहदौरी) योजना, प्रयागराज

क्र. सं०	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	एफ. ए. आर.	आरक्षित दर	सम्पत्ति दर	टोकन दर	आरक्षित श्रेणी
1	दुकान सं० बी०एस०-3	बेसमेंट दुकान	11.60	NA	2225300.00	2225300.00	222530.00	अनारक्षित
2	दुकान सं० बी०एस०-4		12.33	NA	2366000.00	2366000.00	236600.00	अनारक्षित
3	दुकान सं० बी०एस०-5		12.33	NA	2366000.00	2366000.00	236600.00	अनारक्षित
4	दुकान सं० बी०एस०-6		11.60	NA	2225300.00	2225300.00	222530.00	अनारक्षित
5	दुकान सं० बी०एस०-7		11.60	NA	2225300.00	2225300.00	222530.00	अनारक्षित
6	दुकान सं० बी०एस०-8		12.26	NA	2355000.00	2355000.00	235500.00	अनारक्षित
7	दुकान सं० बी०एस०-9		15.23	NA	2923000.00	2923000.00	292300.00	अनारक्षित
8	दुकान सं० बी०एस०-10		11.60	NA	2225300.00	2225300.00	222530.00	अनारक्षित
9	दुकान सं० बी०एस०-11		11.60	NA	2225300.00	2225300.00	222530.00	अनारक्षित
10	दुकान सं० बी०एस०-12		11.60	NA	2225300.00	2225300.00	222530.00	अनारक्षित
11	दुकान सं० बी०एस०-13		12.33	NA	2366000.00	2366000.00	236600.00	अनारक्षित
12	दुकान सं० बी०एस०-14		12.33	NA	2366000.00	2366000.00	236600.00	अनारक्षित
13	दुकान सं० बी०एस०-15		11.60	NA	2225300.00	2225300.00	222530.00	अनारक्षित
14	दुकान सं० जी०एस०-9		15.23	NA	4029000.00	4029000.00	402900.00	अनारक्षित
15	दुकान सं० जी०एस०-10		11.60	NA	3068700.00	3068700.00	306870.00	अनारक्षित

सामान्य नियम व शर्तें

1. समस्त आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषदीय आदेशों एवं विनियमों के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
2. सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु.107 (जीएसटी सहित) जमा कर सम्बन्धित शहर योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
3. आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 5% एवं व्यावसायिक/अनावासीय सम्पत्तियों के सम्पत्ति का 10% धनराशि का Bank Draft/RTGS/NEFT “उ0प्र0 आवास विकास परिषद” के पक्ष में भुगतान देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर (आवेदन पत्र आवंटन तिथि से दो दिन पूर्व तथा सीलड बिड नीलामी के एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यदिवस में सायं 5:00 बजे तक सम्बन्धित सम्पत्ति कार्यालय/जोन कार्यालय में जमा करना होगा। चेक/नगद स्वीकार नहीं होगा। नीलामी की तिथि को प्रातः 10:30 बजे से टोकन निर्गत किये जायेंगे। प्रातः 11:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। नीलामी प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् उक्त योजना व सम्पत्तियों का टोकन निर्गत नहीं किया जायेगा।
4. सशर्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। तथ्यों को छिपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. शासनादेश के अंतर्गत जीएसटी की जो भी दर/जिस तिथि से निर्धारित होगी उसका भुगतान तदानुसार अलग से करना होगा।
6. नीलामी में प्रतिनिधि के रूप सम्पत्ति पर बोली बोलने का अधिकार तभी मान्य होगा जब अधिकार पत्र/Power of attorney notary द्वारा सत्यापित हो।
7. सम्पत्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म0) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु दिशा निर्देश

1. समस्त आवेदकों/बोलीदाताओं को केन्द्र/राज्य तथा परिषद द्वारा Covid-19 संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देश को पूर्ण रूप से पालन किया जाना आवश्यक होगा।
2. नीलामी स्थल पर सिर्फ बोलीदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति अनुमन्य है, अन्य किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. एक समय में एक ही योजना हेतु आवंटन/नीलामी की प्रक्रिया निष्पादित की जायेगी, अन्य योजनाओं से सम्बन्धित बोलीदाता नीलामी स्थल पर नहीं रहेंगे, जिस योजना हेतु आवंटन/नीलामी की प्रक्रिया निष्पादित हो रही है अथवा होने जा रही है उसकी जानकारी ध्वनि प्रसारक यंत्र के माध्यम से लगातार प्रसारित की जायेगी।
4. यदि 1 ही योजना में अधिक संख्या में भूखण्ड/भवन प्रस्तावित है तथा उनके सापेक्ष ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं तो एक समय में 5-5 भूखण्डों की ही नीलामी प्रक्रिया संपन्न करायी जाएगी तथा उनके सापेक्ष आवेदकों/बोलीदाताओं को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।
5. जोनल आयुक्त, जहाँ पर एक से अधिक दिन नीलामी संपन्न होनी है वहा पर स्वयं के विवेकानुसार अलग-2 दिवस हेतु योजना/संपत्ति कार्यालय का चयन कर लेंगे, जिसमें की एक समय में 50 से ज्यादा आवेदक/बोलीदाता नीलामी स्थल पर उपस्थित न हो पायें, तथा इसकी सूचना कार्यालय के सूचना पट्ट पर अवश्य चरपा करेंगे।
6. इसके अलावा जोनल आयुक्त कार्य संचालन तथा महामारी से बचने हेतु अपने स्तर से भी उचित निर्णय लिया जायेगा जो नीलामी सम्पन्न कराने तथा महामारी से बचाव हेतु उचित होगा।

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं

डायल  करें :

1800-180-5333 (टोल फ्री)
0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे
से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है

IS 15700:2018



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail : info@upavp.com

